न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 429/2021

बनाम

प्रार्थीया :–
शांतिदेवी पत्नि रामनारायण
जाति जाट निवासी खांगटा तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

अप्रार्थीगण :–
1. कमलादेवी पत्नि भंवरराम
2. रामसिंह पुत्र बालुराम
3. गिरधारीराम पुत्र सुखाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण
लवारी तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर ।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री रामदयाल चौधरी प्रार्थीया की ओर से
श्री पृथ्वीराज चौहान अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 29.03.2022

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128,131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:– ग्राम खांगटा की राजस्व सीमा मे स्थित भूमि खसरा नं. 1611/2 क्षैत्रफल 0.6877 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि आई हुई है जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम से राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही है। प्रार्थीया उक्त खसरे की भूमि के रेकर्ड खातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीया की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1611/2 के चिपते अप्रार्थी संख्या एक से तीन की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 1611, 1611/1, 1611/3 पूर्व मे मूल खसरा नं. 1611 की भूमि रही है जो मौके पर कब्जे काश्त अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या एक से तीन की भूमि राजस्व नक्शे मे ऑनलाईन तरमीम करते समय प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या एक से तीन के कब्जे काश्त अनुसार नही की जाकर भुलवश त्रुटि से इसी मूल खसरा नं. 1611 की भूमि गलत कर दी है जो संलग्न ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे इन्द्राज है जबकि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या एक से तीन के कब्जे काश्त की भूमि संलग्न नजरी नक्शे अनुसार लाल स्याही के मध्य दर्शायी गई है। मौके अनुसार का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य हमेशा खेत की सीमाओ को लेकर विवाद होता आया है जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या एक से तीन से अपनी अपनी खातेदारीसुदा भूमियां खसरा नं. 1611, 1611/1, 1611/2, 1611/3 भूमियो का नाप चौप करने एवं राजस्व नक्शे मे हुई त्रुटिवश तरमीम को शुद्ध करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या एक से तीन इसके लिये तैयार नही हुए, जिस पर गांव वालो ने अप्रार्थी संख्या एक से तीन को बहुत समझाया और उनको कहा कि नक्शा ट्रेस मे सही तरमीम करवा ले और भूमि का नाप चौप करवा ले और कहा कि नाप चौप करवाने से हमेशा का झगडा खत्म हो

29/3

जायेगा लेकिन फिर भी अप्रार्थी संख्या एक से तीन नही माने। इस कारण प्रार्थीया को खसरा नं. 1611, 1611/1, 1611/2, 1611/3 की नक्शा ट्रेस मे सही तरमीम कराने हेतु तथा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1611/2 का सीमांकन व पत्थरगढी कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। सभी खातेदार भूमि खसरा नं. 1611, 1611/1, 1611/2, 1611/3 के मौके पर बंट अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है भूमि खसरा नं. 1611, 1611/1, 1611/2, 1611/3 का जमाबंदी मे अलग अलग बट्टा नम्बर दर्ज कर अलग अलग खातेदारी मे इन्द्राज कर दी गई लेकिन राजस्व नक्शे मे भूमि को पक्षकारो के काश्त के अनुसार तरमीम नही किया है जिसके कारण मौके पर हमेशा विवाद बना रहता है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते नं. 1611, 1611/1, 1611/2, 1611/3 की सही तरमीम संलग्न नजरी नक्शे अनुसार करवाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है एवं प्रार्थीया द्वारा अपनी वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1611/2 की सीमांकन व पत्थरगढी हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता पृथ्वीराज चौहान ने वकालतनामा मय एडमिटेड जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1611/2 क्षैत्रफल 0.6877 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 1611 क्षैत्रफल 0.9708 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 1611/3 क्षैत्रफल 0.2427 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ व खसरा संख्या 1611/1 क्षैत्रफल 0.4450 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि की राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे अनुसार व प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त अनुसार तरमीम करने का आदेश फरमावे व मौके पर नाप व सीमांकन व पत्थरगढी करने का आदेश फरमाया जावें ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1611/2 क्षैत्रफल 0.6877 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1611 क्षैत्रफल 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1611/3 क्षैत्रफल 0.2427 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1611/1 क्षैत्रफल 0.4450 हैक्टेयर भूमि का राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे अनुसार व प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

(बूदाराम)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालयमें लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(बूदाराम)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर